



झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक
16/2013विक्रम संवत्
20707(कृ०)आषाढ 1935 (शा०)
जमशेदपुर, शनीवार, 29/06/2013

सहायक खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये खनन एवं भूतत्व विभाग का आम सूचना।

विशय सूची

1. जिला खनन विभाग से सम्बंधित आम सूचना

पृष्ठ संख्या
01-01

झारखण्ड सरकार
खनन एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जिस पर खनन पट्टा धारण किया जाता था, कि अवधि समाप्त हो गई है। फलतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के अन्तर्गत यह क्षेत्र पुन बन्दोबस्ती हेतु रिक्त है ।

अतः उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृती हेतु इच्छुक व्यक्ति /संस्था जिला गजट में सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के पश्चात झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 9 के प्रावधानों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सभी वांछित कागजातों के साथ दाखिल कर सकते है ।

विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य अवधि के अन्दर प्राप्त कर सकते है ।

क्षेत्र का विवरण

सं छव	पूर्व पट्टेधारी का नाम एवं पता	अंचल	मौजा	थाना न०	प्लॉट न०	रकवा	खनिज
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वश्री माँ बासंती स्टोन प्रो० शशांक शेखर पण्डा ग्राम बहरागोड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम ।	बहरागोड़ा	झारपाड़ा	935	57 (P)	1.00	पत्थर

ह०/-

सहायक खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।